18

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 4 फरवरी 1999 को दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री, दिल्ली के सभाकक्ष पुराना सचिवालय दिल्ली में हुई 18वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री राकेश मोहन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य दि.ज.बोर्ड
3.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	–तदैव–
4.	श्री आर.सी.वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	–तदैव–
5.	श्री छन्नु मल, सदस्य, दिल्ली छावनी	–तदैव–
6.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	–तदैव–
7.	श्री एस.सी.एस.गोपालकृष्नन, सदस्य (वित्त)	–तदैव–

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 21 जनवरी, 1999 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और हस्ताक्षर किये गये ।

संकल्प संख्या 182

मद संख्या 183 दिल्ली जल बोर्ड के लिए ब्लीचिंग पाउडर ग्रेड–2 की खरीद ।

मुख्य अभियंता (सी) प्रथम के पत्र क्रमांक तक./99/118 दिनांक 27.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् 400 मी.टन. ब्लीचिंग पाउडर खरीदने हेतु रू0 46,26,760.00 के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 183

मद संख्या 184 नांगलोई सैयद दिल्ली में 40 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता के अवजल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी)।। के पत्र क्रमांक तक./99/119 दिनांक 27.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् निविदाकर्ता से रेट को कम करने के लिए दोबारा बातचीत करके प्रस्तुत करने के लिए वापिस किया गया ।

मद संख्या 185 गांव मंगोलपुर कलां, दिल्ली में आंतरिक सीवर लाइन बिछाने की व्यवस्था करना ।

प्रस्ताव पर विचार करने के दौरान यह पाया गया कि सभी तथ्य सही तरीके से नहीं रखे गए हैं तथा इस कार्य के लिए बजट में कोई प्रावधान भी नहीं है । सदस्य (वित्त) नें सूचित किया कि उन्होंने प्रस्ताव का अनुमोदन फाइल पर नहीं किया था । यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को स्थगित रखा जाए एवं इस बीच दिल्ली सरकार से आवश्यक निर्देश भी प्राप्त कर लिए जाए ।

संकल्प संख्या 184

मद संख्या 186 बाह्य डाक वितरण के कार्य में लगाए गए अनुचरों को दिल्ली परिवहन निगम के सर्वमार्गीय मासिक बस पास के एवज में दी जाने वाली राशि को रू0 150/– प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 250/– प्रतिमाह करना ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./99/66 दिनांक 27.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बाह्य डाक वितरण पर लगाए गए अनुचरों को दिल्ली परिवहन निगम के सर्वमार्गीय मासिक बस पास के एवज में दी जाने वाली राशि को रू0 150/– प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 250/– प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 185

मद संख्या 187 दिल्ली जल बोर्ड में भारी वाहन चलाने हेतु अनुबन्ध आधार पर वाहन चालकों को लगाना ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./99/67 दिनांक 27.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली जल बोर्ड में रूपये 3500/- प्रतिमाह की एकमुश्त राशि पर अनुबन्ध के आधार पर 450 वाहन चालकों के पदों को दिनांक 16.6.1999 अथवा नियमित वाहन चालकों की नियुक्ति, इनमें से जो भी पहले हो, तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई । यह भी व्यक्त किया गया कि इस अवधि में इन पदों को नियमित आधार पर भर दिया जाना चाहिए ।

संकल्प संख्या 186

मद संख्या 188 दिल्ली जल बोर्ड में रू0 10,650-15,850 के वेतनमान + रू0 800 प्रतिमाह मोटर कार भत्ता और अन्य सामान्य भत्तों सहित संयुक्त निदेशक (राजस्व) के पद हेतु भर्ती नियम ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./99/68 दिनांक 27.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् संयुक्त निदेशक (राजस्व) के पद के लिए भर्ती नियमों को उपरोक्त पत्र के संलग्नक-।। के अनुसार स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 187

मद संख्या 189 सचिव, दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियम ।

उपरोक्त प्रस्ताव को वापिस लेने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 188

मद संख्या 190 दिल्ली जल बोर्ड में वर्क एसिस्टैन्ट के पद के वेतनमान को रू0 3050-4590 से रू0 4000-6000 में संशोधित कर के.लो.नि.वि./दि.वि.प्रा. के समान करना ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./99/70 दिनांक 27.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् वर्क एसिस्टैन्ट के वेतनमान को रूपये 3050-4590 से रूपये 4000-6000 में तुरन्त प्रभावी तिथि से संशोधित किये जाने को स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 189

मद संख्या 191 दिल्ली जल बोर्ड में स्टाफ नर्स के पद के साथ धुलाई भत्ता, उपचारिका भत्ता (नर्सिंग एलाउन्स) और वर्दी भत्ता जोड़ना/संशोधित करना ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./99/71 दिनांक 27.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में स्टाफ नर्स के पदों के साथ पत्र में प्रस्तावित भत्तों को जोड़ने/संशोधित करने की स्वीकृति दी गई बशर्ते की वे राज्य उपचारिका परिषद (स्टेट नर्सिंग काउन्सिल) में पंजीकृत हों ।

संकल्प संख्या 190

मद संख्या 192 दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार में राजस्व निदेशक के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./99/72 दिनांक 27.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली जल बोर्ड में राजस्व निदेशक के पद हेतु पत्र के संलग्नक-4 के अनुसार भर्ती नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 191

मद संख्या 193 18,000 मी. टन.ओ.पी. सीमेंट की खरीद हेतु ।

मुख्य अभियंता (सी) तृतीय के पत्र क्रमांक तक./99/121 दिनांक 1.2.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् 16920 मी.टन.33 ग्रेड ओ.पी.सीमेंट की आपूर्ति मै.डी.एल.एफ. सीमेंट को उनके बातचीत के दौरान कम किए गए रेट रूपये 110.85 प्रति बैग सभी कर सहित पहुँच नेहरू नगर/ओखला स्टोर के हिसाब से पूर्णतः राशि 3,75,11,640/- रूपये पर आबंटित करने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 192   (सभा में प्रस्तुत)

मद संख्या 194 दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पारित मदों/संकल्पों पर कार्यवाही रिर्पोट/समीक्षा ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक प्रशा./99/73 दिनांक 3.2.99 में दी गई कार्यवाही रिर्पोट को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 193   (सभा में प्रस्तुत)

मद संख्या 195 यमुना विहार, शाहदरा उन्तर में 10 मिलियन गैलन दैनिक क्षमता के अतिरिक्त अवजल शोधन के निर्माण के लिये वृहद अनुमान की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ।

मुख्य अभियंता (सी) चतुर्थ के पत्र क्रमांक तक./99/122 दिनांक 4.2.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य हेतु रूपये 1178 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

अन्य विषयों पर निम्न प्रकार से चर्चा हुई ।

1. अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिया कि रिसाव के बारे में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निपटान की सूचना और टैंकरों की स्थिति से उन्हें सप्ताह में दो बार अवगत कराया जाए । उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि कार्य निष्पादन में वित्त विभाग अथवा किसी स्तर पर विलम्ब का कोई औचित्य नहीं है । वित्त विभाग सहित बोर्ड के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया ।

2. श्रीमती रोशनी बंसल ने कहा कि सदस्यों को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को दी गई वाहनों की सुविधा व उसके आधार के विषय में अवगत कराया जाए । उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि यू.वी.ब्लाक, शालीमार बाग में पानी के रिसाव को तुरन्त ठीक कराया जाए । रिसाव रोकने हेतु अलग से एक दस्ता बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया ।

3. श्री आर.सी.वर्मा ने उत्तम नगर, नजफगढ़ रोड़ पर ट्रंक सीवर के कार्य को शीघ्र पूरा कराने की इच्छा व्यक्त की । इस संबंध में एक नोट मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को भेजने के लिए आदेश दिए गए ताकि पुलिस विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए जा सके । उन्होंने कार्यालय आदेश के अभाव में कुछ दिनों तक टैंकर्स के न चल पाने पर आपन्ति जताई ।

शीला दीक्षित

सचिव   अध्यक्ष